

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- 6(12)राज-6/99/पार्ट/102

जयपुर, दिनांक:- 18.09.19

अधिसूचना

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का अधिनियम सं0 15) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(12) राज-6/99/पार्ट/8 दिनांक 30.7.2014 में निम्न संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के खण्ड (ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान राज्य भण्डारण निगम" के पश्चात तथा विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान सहकारी दुग्ध उद्योग परिसंघ" से पूर्व अभिव्यक्ति "बीज विस्तार केन्द्र की स्थापना के लिए राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड" अन्तःस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कमलेश आबुसय्या)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. रक्षित पत्रावली।

(कमलेश आबुसय्या)  
शासन उप सचिव